न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 14/2024 तारीख रजूः– 10.07.2024

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. काडू पुत्र भौरया	जाति मीना निवासी झारेडा
2. गोपाल पुत्र गरीबा	
3. नरेश पुत्र रामप्रसाद	
4. बाबूलाल पुत्र भौरया	
5. मनोहरी पुत्र भौरया	तहसील हिण्डौन जिला करौली
6. मोहन पुत्र सुखराम	
7. रतन पुत्र गरीबा	
8. रवि पुत्र रामप्रसाद	
9. रामसहाय पुत्र सुखराम	
10. रामसहाय पुत्र भौरया	
11. रिंकीबाई पुत्री रामप्रसाद	
12. लोकेश पुत्र रामप्रसाद	
13. सीताराम पुत्र गरीबा	
14. हरसहाय पुत्र सुखराम	———— प्रार्थीगण
15. हरीओम पुत्र रामप्रसाद	

बनाम

तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली ———— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी

अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट

उपस्थित :–1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निर्णय

दिनांक :– 7/11/25

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि आराजी ख0न0 547 रकबा 9 ऐयर, ख0न0 548 रकबा 20 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 29 ऐयर स्थित ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात ग्राम खेडीघाटम एवम् हिण्डौन कस्बा के मेडे (सीमा पर) पर स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात के पूर्व दिशा में ख0नं0 3061 कस्बा हिण्डौन में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ख0नं0 548 एवं ख0नं0 3061 के मध्य में ग्राम खेडीघाटम एवं कस्बा हिण्डौन का मेंढा स्थित है। जिसके चलते प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की पत्थरगढी ग्राम खेडीघाटम के रकबे में स्थित मुस्तकल बिन्दू से किया जाना संभव नहीं है उक्त समस्या के निराकरन बाबत प्रार्थीगण की खातेदारी के ख0नं0 548 स्थित ग्राम खेडी–घाटम एवं ख0नं0 3061 स्थित कस्बा हिण्डौन के मध्य में स्थित हिडौन–खेडीघाटम की सीमा मेडे का निर्धारण दोनों ओर से नाप करते हुये किया जाना आवयक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि उक्त मेडे की खाली भूमि पर उससे लगवां खातेदारान जबरन कब्जा करना चाहते है जिसको लेकर मौके पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। जिसे टालने बाबत ग्राम खेडीघाटम के रकबे की ओर से एवं कस्बा हिण्डौन के रकबे की ओर से नाप की जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ख०नं० 548 ग्राम खेडीघाटम एवं ख०न० 3061 स्थित कस्बा हिण्डौन के मध्य स्थित हिण्डौन सिटी–खेडीघाटम सीमा का सही निर्धारण करते हुरे प्रार्थीगण की खातेदारी के खेतों की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई व समाअत का अधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल०आर०ऐक्ट के प्रावधानों के तहत पेश किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ख0न0 547 रकबा 9 ऐयर, ख0न0 548 रकबा 20 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 29 ऐयर स्थित ग्राम खेडीघाटम की पत्थरगढ़ी उक्त आराजीयात के पूर्व विशा में स्थित कस्बा हिण्डौन खेडीघाटम मेंड़ा की सही स्थिति का निर्धारण करते हुरे करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने पत्रांक एलआर/2024/780 दिनांक 19.07.2024 में अंकित किया है कि उक्त उनवानी प्रकरण में उल्लेखित बिन्दूओं की जॉच पटवारी हल्का इरनिया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बरगमा से करवाई गई जो मूल जॉच रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न प्रेषित की है।

पटवारी हल्का इरनिया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बरगमाने जॉच रिपोर्ट दिनांक 16.07.2024 में अंकित किया है कि मुताविक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 547 रकबा 0.09 है0, 548 रकबा 0.20 है0 काडू पुत्र भौरया हि0 1/12, गोपाल पुत्र गरीबा हि0 1/12 जाति मीना सा0 झारेडा वगैराह के नाम ग्राम खेडीघाटम रिकार्ड दर्ज है। (जमाबन्दी संलग्न है)। उक्त आराजीयात कस्बा हिण्डौन की सीमा पर स्थित है। खसरा नम्बर 547, 548 के खातेदार उक्त खसरा नम्बर की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं, चूंकि उक्त खसरा नम्बर हिण्डौन कस्बा पर स्थित है। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नम्बर की पत्थरगढी बाबत् टीम गठित कर एवं हिण्डौन कस्बा के पटवारी एवं गिरदावर मय मय पुलिस जाप्ता के करवाने की कृपा करें। चूंकि मौके पर विवाद एवं तनाव है।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं. 2071–74 नकल नक्शा ट्रेस, पेश की हैं।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 547 रकबा 0.09 है0, 548 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी काडू पुत्र भौरया हि0 1/12, गोपाल पुत्र गरीबा हि0 1/12, नरेश पुत्र रामप्रसाद हि0 1/60, बाबूलाल पुत्र भौरया हि0 1/12, मनोहरी पुत्र भौरया हि0 1/12, मोहन पुत्र सुखराम हि0 1/9, रतन पुत्र गरीबा हि0 1/12, रवि पुत्र रामप्रसाद हि0 1/60, रामसहाय पुत्र सुखराम हि0 1/9, रामसहाय पुत्र भौरया हि0 1/12, रिंकीबाई पुत्री रामप्रसाद हि0 1/60, लोकेश पुत्र रामप्रसाद हि0 1/60, सीताराम पुत्र गरीबा हि0 1/12, हरसहाय पुत्र सुखराम हि0 1/9, हरिओम पुत्र रामप्रसाद हि0 1/60 जातियान मीना साकिन झारेडा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार खाता संख्या नया 1589, पुराना 1475 कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी आशा पुत्री काडू जाति पुजारी सा0 खेडीघाटम वगैराह खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है।

मुताविक नकल नक्शा ट्रेस के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 547 रकबा 0.09 है0, 548 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम के मेंढे पर है तथा इन खसरा नम्बरों के लगमा कस्बा हिण्डौन की सीमा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 547 रकबा 0.09 है0, 548 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी के खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 547 रकबा 0.09 है0, 548 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी का विधिवत रूप से पुनः सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इसलिए उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 547 रकबा 0.09 है0, 548 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी का पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरीगढी कराने के आदेश तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ावीरजी को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण ार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट ये जाने पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमहावीरजी को ा दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर रकबा 0.09 है0, 548 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील वीरजी का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं ाढी कराने से पूर्व तहसीलदार हिण्डौन से समन्वय स्थापित करते हुए कस्बा न के पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को भी नियत दिनांक एवं समय ास्थित रहने के लिए पाबन्द करावें ताकि दोनों गांवों की सीमा का निर्धारण े उपरान्त ही उक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान सही हो सके। पटवारी इरनिया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक बरगंमा की रिपोर्ट के अनुसार सीमाज्ञान थरगढी करवाते समय यदि मौके पर किसी प्रकार की आम शान्ति भंग ा अंदेशा हो तो नियमानुसार पुलिस जाप्ता की मांग कर सकते हैं। ान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निशिचित ुए प्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा ग को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी के यहाँ 7 दिवस में जमा करावें। ादार श्रीमहावीरजी पालना रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक ....7/11/25.........लिखाया जाकर खुले य में सुनाया गया।

7/11/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

श्रीमहावीरजी को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट करवाये जाने पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुॅचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 547 रकबा 0.09 है0, 548 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने से पूर्व तहसीलदार हिण्डौन से समन्वय स्थापित करते हुए कस्बा हिण्डौन के पटवारी एवं भू—अभिलेख निरीक्षक को भी नियत दिनांक एवं समय पर उपस्थित रहने के लिए पाबन्द करावें ताकि दोनों गांवों की सीमा का निर्धारण होने के उपरान्त ही उक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान सही हो सके। पटवारी हल्का इरनिया एवं भू—अभिलेख निरीक्षक बरगंमा की रिपोर्ट के अनुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाते समय यदि मौके पर किसी प्रकार की आम शान्ति भंग होने का अंदेशा हो तो नियमानुसार पुलिस जाप्ता की मांग कर सकते हैं। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए प्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। तहसीलदार श्रीमहावीरजी पालना रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 7/11/25 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/11/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)